

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर

क्रमांक:—नर्सिंग / नर्स-1 / वीआरएस-पार्ट-2 / 2022-2024 / 20772 / 2024 / 148 दिनांक:—22/4/2024
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
हनुमानगढ़।

विषय:—श्री प्रतापसिंह वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी, के स्वैच्छिक सेवानिवृति के संबंध में।
सन्दर्भ:—आपका पत्रांक 1330-33 दिनांक 01.02.2024 क्रमांक 4583-84 दिनांक
15.12.2023 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के द्वारा श्री प्रतापसिंह, वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, धौलीपाल में कार्यरत हैं, के द्वारा स्वयं की बिमारी के कारण राज्य सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृति हेतु प्रस्ताव निदेशालय को भिजवाये गये हैं के क्रम में लेख है कि राजस्थान सिविल सेवा(पेंशन) 1996 नियम 50 के अनुसार बिन्दु संख्या 04 में निहित प्रावधान के अनुसार कर्मचारी यदि निलम्बित हो या उसके विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित हो या कोई फौजदारी प्रकरण चल रहा हो तो उस परिस्थिति में स्वैच्छिक सेवानिवृति स्वीकृत नहीं की जा सकती है, के प्रावधान के अनुसार कार्मिक के स्वैच्छिक सेवानिवृति प्रस्ताव पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:—नर्सिंग / नर्स-1 / वीआरएस-पार्ट-2 / 2022-2024 / 20772 / 2024 / 148 दिनांक:—22/4/2024

प्रतिलिपी:—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन।
2. संबंधित ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4. रक्षित / गार्ड पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

